

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर
क्रमांक: ई-18/एम/7256यू/जोन-जोधपुर/2024/ दिनांक :-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)एफ.डी./नियम/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/(रूल्स)/2017 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों की अनुपालना में श्री रतनलाल, वरिष्ठ सहायक, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) बाड़मेर जिनकी राज्य सेवा (संवर्ग) में प्रथम नियुक्ति तिथि 29.07.1992 है तथा राज्य सेवा (संवर्ग) में 27 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने पर दिनांक 29.07.2019 से पे मेट्रिक्स के लेवल-11 में ए.सी.पी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुरूप कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/7256यू/जोन-जोधपुर/2024/73

दिनांक :- 12/4/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
2. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण), बाड़मेर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री रतनलाल, वरिष्ठ सहायक के द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर

RajKaj Ref
5328824

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation : Director
Date : 09-04-2024 06:27:02